Gmail

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>

30-12-2025

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 30 December 2025 at 13:35
To: SHAKUNTALA GAUTAM <hearingcourts9.upic@up.gov.in>
Cc: ddamzp2012 <ddamzp2012@gmail.com>

BEFORE THE HON’BLE UTTAR PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION, LUCKNOW

Case No: A-20250401292

Appellant: Yogi M.P. Singh vs. PIO, Office of District Magistrate/Tehsildar Sadar, Mirzapur

Hearing Date: 30/12/2025 (Room S-9)

OBJECTION AGAINST THE MODIFIED REPORT (संशोधित आख्या) DATED 24.12.2025

Respected Madam Commissioner,

The Appellant most respectfully submits this formal objection to the letter (Letter No. 5235/PM-Kisan/2025-26) issued by the Deputy Director of Agriculture (DDA), Mirzapur, on the following grounds:

1. Jurisdictional Fraud & Red-Herring Tactic

The information sought in the original RTI application (DMOMR/R/2025/60003) pertains strictly to the **Revenue Department (Tehsil Sadar)**. By allowing the **Agriculture Department** to respond, the District Magistrate’s office is shielding the actual custodians of information—the **Tehsildar Sadar** and **SDM Sadar**.

- **Legal Point:** The DDA is not the custodian of Tehsil logs, staff joining dates, or verification records. This is a deliberate attempt to mislead the Commission by providing "secondary" information instead of "primary" records.

2. Procedural Contradiction Regarding "Certified" Records

In the DDA's response to **Point No. 3**, it is stated that the application was rejected for not being a "Certified Khatauni."

- **The Objection:** The Government Order (GO) cited by the department (83/2022/776) does not mandate the word **"Certified" (प्रमाणित)** for online self-registration.
- **The Conflict:** On one hand, the government promotes **Digital/Paperless Governance** (as per SC Mandate WP(C) 360/2021), but on the other, it demands a physical "certified" scan. This is a contradictory barrier created solely to harass the farmer.

3. False Compliance & Malafide Delay

The PIO (Tehsildar) failed to respond for **358 days**. This "Modified Report" was only generated on 24.12.2025—just 6 days before the final hearing—to escape penalty proceedings.

- **Contempt of Order:** The Commission’s order dated 03.07.2025 was willfully ignored for nearly six months. This constitutes contempt of the Commission's quasi-judicial authority.

4. Incomplete & Evasive Information

- **Point 4 & 5:** The department failed to provide the **specific names and joining dates** of the staff involved in the rejection, providing only the Tehsildar's name as a generic shield. They also failed to provide copies of the **internal guidelines** issued by the SDM for online processing.

PRAYER FOR RELIEF

In view of the above, the Appellant humbly prays that this Hon’ble Commission may:

1. **Reject the Report dated 24.12.2025** as it originates from an incompetent authority (Agriculture Dept) for Revenue records.
2. **Impose the Maximum Penalty of ₹25,000** on the PIO (Tehsildar Sadar) under **Section 20(1)** for the 11-month delay and willful obstruction.
3. **Direct the PIO (Tehsildar Sadar)** to personally appear in the next hearing with the original verification register.
4. **Recommend Disciplinary Action** under **Section 20(2)** for providing misleading information and shifting accountability to another department.

Date: 30/12/2025

Place: Mirzapur/Lucknow

Appellant: Yogi M.P. Singh

Mobile: 7379105911

[Quoted text hidden]

---

ddarep.pdf
316K

संशोधित

<u>कार्यालय उप कृषि निदेशक, मीरजापुर</u>

पत्रांक– 5235 /पी0एम0 किसान/2025–26 दिनांक– 24.12.2025

श्री योगी एमपी सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह,
सुरेकापुरम कालोनी, जबलपुर रोड,
जनपद – मीरजापुर, उ0प्र0 – 231001

विषयः– अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या–3150 दिनांक 30.09.2025 का संशोधित आख्या के सम्बन्ध में।

अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20–08–2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक–2041 दिनांक 19–08–2025 के द्वारा अपील संख्या–S09/A/1087/2025, पंजीकृत संख्या–A-20250401292 एवं जन–सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना जो उपलब्ध करायी गई थी, पी0एम0 किसान सम्मान निधि के प्रकरण सम्बन्धित है, पर आपत्ति की गई थी। आपत्ति का प्रतिउत्तर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या–3150 दिनांक 30.09.2025 के द्वारा प्रेषित किया गया था का संशोधन बिन्दुवार आख्या पुनः प्रेषित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में आप द्वारा की गई आपत्तियों के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है,–

प्र0सं0	प्रश्न/आपत्ति	उत्तर
1	पीएम किसान सम्मान निधि का आवेदन निरस्त करने वाले राजस्व विभाग के कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पोस्टिंग विवरण उपलब्ध करायें।	श्री हेमन्त कुमार बिन्द, तहसीलदार, सदर, जनपद मीरजापुर द्वारा पी0एम0 किसान सम्मान निधि का एप्लीकेशन कैंसिल किया गया।
2	पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन में राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति अपलोड किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश, आफिस मेमो, सर्कुलर, मेमोरेण्डम और एडवाइजरी उपलब्ध करायें।	शासनादेश संख्या–83/2022/776/12–5–2022–सा0–01/2019 संलग्न है।
3	श्री केशव प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, छानबे, मीरजापुर का आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेज को सत्यापित करने हेतु तहसील सदर द्वारा क्या कदम उठाए गए।	केशव प्रताप सिंह द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने हेतु प्रमाणित प्रति अपलोड न होने की स्थिति में तहसीलदार, सदर द्वारा आवेदन "Authenticate the land record" मार्क करते हुए अस्वीकृत किया गया।
4	पीएम किसान सम्मान निधि के आनलाईन आवेदन को तहसील सदर में जिस स्टाफ द्वारा प्रोसेस किया जाता है, उनका नाम, पदनाम एवं मीरजापुर में योगदान तिथि उपलब्ध कराया जाय।	श्री हेमन्त कुमार बिन्द, तहसीलदार, सदर, जनपद मीरजापुर द्वारा पी0एम0 किसान सम्मान निधि के आनलाईन आवेदन को प्रोसेस किया गया, जनपद मीरजापुर में इनके द्वारा योगदान दिनांक 12–08–2024 को किया गया।
5	उप जिलाधिकारी, सदर या जिलाधिकारी, मीरजापुर, द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आनलाईन आवेदन को प्रोसेस करने सम्बन्धी गाईडलाईन उपलब्ध कराया जाय।	कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर का पत्रांक–2849/पी0एम0किसान/भूलेख/सत्यापन/2022–23 दिनांक 19–11–2022 संलग्न है।

(विकेश कुमार),
उप कृषि निदेशक,
मीरजापुर

पत्रांक–   /पी0एम0 किसान/2025–26   दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नमलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, 7/7/ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ की सेवा में सादर प्रेषित।

2– जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कृषि निदेशक,
मीरजापुर

कार्यालय उप कृषि निदेशक, मीरजापुर

पत्रांकः 4679 /आई0जी0आर0एस0 शिकायत/2025–26/दिनांकः 29/11/25

श्री योगी एम0पी0 सिंह
मोहल्ला– सुरेकापुरम कोलोनी
वि0ख0– सीटी
जनपद– मीरजापुर
मो0: 7379105911

आप द्वारा आई0जी0आर0एस0 पर पी0जी0 पोर्टल संदर्भ संख्या– 60000250271058 द्वारा शिकायत की गयी है कि पी0एम0 किसान योजनान्तर्गत धनराशि खाते में नही आ रही है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिये गये आधार संख्या 822435097042 से जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि पी0एम0 किसान डाटा में रिजेक्ट सब डिस्ट्रिक/ब्लाक शो कर रहा था। जिसके सापेक्ष आपको अवगत कराना है कि दिनांक 31.10.2024 को लैण्ड रिकार्ड शो न होने के कारण तहसीलदार सदर द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। वर्तमान समय में पी0एम0 किसान पोर्टल पर अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन के आप्शन से पुनः खतौनी अपलोड कराते हुए पी0एम0 किसान घोषणा पत्र विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार गैपुरा अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय पर जमा करायें। तथा खतौनी अपलोड करने के पूर्व फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है।

उप कृषि निदेशक
मीरजापुर

कार्यालय उप कृषि निदेशक, मीरजापुर।

पत्रांक–उ0कृ0नि0/ 4860 /नया आवेदन/पी0एम0 किसान/2025–26/दिनांक–4/12/25

श्री योगी एमपी सिंह पुत्र राजेंद्र प्रताप सिंह,
सुरेकापुरम कालोनी, जबलपुर रोड,
जनपद मीरजापुर, उ0प्र0–231001

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत श्री केशव प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, निबी गहरवार, विकास खण्ड–छानबे, जनपद मीरजापुर के आधार संख्या–822435097042 से pmkisan.gov.in की पोर्टल पर नया आवेदन किया गया था, जो पोर्टल पर प्रमाणित खतौनी अपलोड नहीं होने के कारण तहसीलदार सदर, मीरजापुर द्वारा आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में पी0एम0 किसान पोर्टल पर नये आवेदन किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा ओपन कर दिया गया है, जो योजना का लाभ दिये जाने हेतु निम्न प्रकार की कार्यवाही पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

1. upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है।
2. pmkisan.gov.in पोर्टल पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के आप्शन में जाकर किसान स्वयं स्मार्ट फोन अथवा जन सेवा केन्द्र के माध्यम से नया आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(विकेश कुमार),
उप कृषि निदेशक,
मीरजापुर

पत्रांक–उ0कृ0नि0/ /नया आवेदन/पी0एम0 किसान/2025–26/दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, 7/7/ए, RTI भवन, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ की सेवा में सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर।

उप कृषि निदेशक,
मीरजापुर